



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 27, 2012/आश्विन 5, 1934
No. 488] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2012/ASVINA 5, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 724(अ).—केन्द्र सरकार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 8 की उप-धारा (2), धारा 10 तथा धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) संशोधन नियमावली, 2012 कहा जाए।

(2) ये 1 अप्रैल, 2013 से लागू होंगे।

2. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियमावली, 2008 की अनुसूची में,—

(क) पैराग्राफ (1), उप पैराग्राफ (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) स्वास्थ्य चेतावनी- चेतावनी “धूम्रपान जानलेवा है” (तम्बाकू उत्पाद के धूम्रपान रूपों पर) सफेद फॉट रंग में और चेतावनी “तम्बाकू जानलेवा है” (तम्बाकू उत्पादों के धुएं रहित अथवा चबाने वाले और अन्य रूपों के संबंध में) सफेद रंग फॉट में तथा “चेतावनी” शब्द लाल रंग के फॉट में काली पृष्ठभूमि में बिल्कुल उसी तरह दर्शाई जाएगी जैसाकि इन नियमों के साथ लगी काम्पैक्ट डिस्क (सी डी) में दी गई सॉफ्ट प्रति में है।”

(ख) पैराग्राफ 2 के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“2. विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां निम्नलिखित हैं :-

(1) विभिन्न प्रकार के धूम्रपान वाले तंबाकू पैकेजों के लिए :-



(क)



(ख)



(ग)

(2) विभिन्न प्रकार के चबाए जाने वाले अथवा धुआरहित तम्बाकू पैकेजों के लिए :-



(क)



(ख)



(ग)

(ग) पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (2) हेतु निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) (क) विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के सभी घटकों का आकार ऐसा रखा जाएगा कि विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी की अर्ध्वाधर एवं क्षैतिज लम्बाई के बीच 0.75:1 का अनुपात कायम रह सके।

(ख) विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी पैक के सामने के पैनल के प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र के कम से कम चालीस प्रतिशत के क्षेत्र को घरेगी।

टिप्पणी:- इन नियमों के साथ एक सी.डी लगी हुई है जिसमें तम्बाकू उत्पाद पैकेटों की प्रिंटिंग में शामिल करने के लिए इन स्वास्थ्य चेतावनियों की एक सॉफ्ट कापी है।”

[फा. सं. पी. 16017/05/2010 पीएच]

शकुन्तला डी. गेमनिन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मूल नियमों को 15 मार्च, 2008 के सा.का.नि. 182 (अ) के तहत प्रकाशित किया था। तत्पश्चात इनमें दिनांक 29.09.2008 के सा.का.नि. 693 (अ) तथा दिनांक 28.11.2008 के सा.का.नि. 2814 (अ) तथा दिनांक 3.05.2009 के सा.का.नि. 305 (अ) तथा दिनांक 05.03.2010 के सा.का.नि. 176 (अ) तथा दिनांक 17.05.2010 के सा.का.नि. 411 (अ) तथा 20 दिसम्बर, 2010 के सा.का.नि. 985 (अ) तथा दिनांक 27 मई, 2011 के सा.का.नि. 417 (अ) और दिनांक 26 जुलाई, 2011 के सा.का.नि. 570 (अ) के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th September, 2012

G.S.R. 724(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7, sub-section (2) of section 8, section 10 and section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, namely:-

1. (1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2013.

2. In the Schedule to the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008. -

(a) for the paragraph 1, for sub-paragraph(i), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(1) Health Warning. - The warning “Smoking Kills” in white font colour (on smoking forms of tobacco products) AND the warning “Tobacco Kills” in white font colour (on smokeless or chewing and other forms of tobacco products) and the words “warning” in red font colour shall appear on a black background, exactly as in the soft copy provided in the Compact Disk (CD) accompanying these rules.”

(b) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“2. The specified health warnings are -


(1) For smoking forms of tobacco packs : -



(a)




(b)




(c)


(2) For chewing or smokeless forms of tobacco packages:-



(a)



(b)



(c)

(c) in paragraph 3, for sub-paragraph(2) the following shall be substituted, namely:-

“(2) (a) The size of all components of the specified health warning shall be so kept as to maintain a ratio of 0.75 : 1 between the vertical length and horizontal length of the specified health warning.

(b) The specified health warning shall occupy at least forty percent of the principal display area of the front panel of the pack.

Note :- These rules are accompanied by a CD that contains a soft copy of these health warnings, for inclusion in printing of tobacco product packages.”

[F. No. P. 16017/05/2010-PH]

SHAKUNTALA D. GAMLIN, Jt. Secy.

Note :- The Principal rules were published vide number, G.S.R. 182 (E) dated 15th march, 2008 and subsequently amended vide number, G.S.R.693(E) dated 29-09-2008 and vide number, S.O.2814(E) dated 28-11-2008 and vide number G.S.R.305(E) dated 3-5-2009 and vide number G.S.R.176(E) dated 05-03-2010 and vide number G.S.R.411(E) dated 17-05-2010, and vide number G.S.R 985(E) dated 20th December, 2010, and vide number G.S.R 417(E) dated 27th May, 2011 and vide number G.S.R 570 (1) dated 26th July, 2011.